डिजिटल युग में विनियमन – मुद्दे, अवसर और चुनौतियाँ

श्री शिरीष चंद्र मुर्मू

सम्मानित अतिथिगण और मेरे साथियों, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकमनाएं! 'डिजिटल युग के अनुरूप विनियमन और पर्यवेक्षण' विषय पर आयोजित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन में इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

डिजिटलीकरण ने दक्षता और उत्पादकता में संवृद्धि, बेहतर पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं। साथ ही, यह जोखिमों की नई श्रेणियां भी बना रहा है और परिचित जोखिमों को अपरिचित तरीकों से नया रूप दे रहा है, जिससे उनका संचरण, दृश्यता और नियंत्रणीयता बदल रही है। डिजिटल तकनीक उत्पादों, प्लेटफार्मों या प्रक्रियाओं से परे जाकर संगठनात्मक संरचनाओं, साझेदारियों और सूचना प्रवाह तक पहुंच गई है, और बढ़ी हुई गति और पैमाने के साथ, जोखिमों के उभरने और फैलने के तरीके और विश्वास के निर्माण या ह्रास के तरीके को मौलिक रूप से बदल रही है। ये बदलाव विनियामकों को अपने विनियामक दृष्टिकोणों की परिचालन मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। वित्तीय स्थिरता का आधार स्तंभ, विश्वास, तेजी से डिजिटल चैनलों के माध्यम से मजबूत हो रहा है, जिससे विनियामकों के सामने नवाचार और जोखिम के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है।

इसी आधार पर, मैं सबसे पहले डिजिटलीकरण से विनियामकों के सामने आने वाले कुछ मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करूंगा, और फिर अधिक प्रभावी और दूरदर्शी विनियामक दृष्टिकोण विकसित करने के अवसरों पर बात करूंगा। अंत में, मैं कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा, जो मेरे विचार से डिजिटल युग में विनियमन का आधार होनी चाहिए।

I. डिजिटल युग में विनियमन के लिए मुद्दे और चुनौतियाँ

ए. विनियामकीय तत्परता

डिजिटलीकरण ने वित्त में समय के आयाम को संकुचित कर दिया है। लेन-देन तुरंत निपटाए जाते हैं, सेवाएं निरंतर संचालित होती हैं, और भुगतान, ऋण और बाजारों से संबंधित निर्णय मशीन की गति से स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं। इससे प्रारंभिक चेतावनी और वास्तविक प्रभाव के बीच उपलब्ध समय कम हो गया है; साथ ही, पारंपरिक संकेतकों द्वारा सार्थक गिरावट दर्ज किए जाने से पहले ही परिचालन संबंधी घटनाएं, धोखाधड़ी या विश्वास की हानि तेजी से बढ़ सकती है। तदनुसार, विनियामक प्रक्रियाएं जो पारंपरिक रूप से रिपोर्टिंग चक्रों और घटना-पश्चात सुधार पर आधारित हैं, उन्हें भी विनियामकीय निर्णय की विवेकशीलता और गुणवत्ता का त्याग किए बिना सक्रिय पहचान और चुस्त हस्तक्षेप की ओर विकसित होना चाहिए।

नए अनुप्रयोग और व्यावसायिक मॉडल तेजी से उभर रहे हैं, जिससे विनियामकों के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया की उपयुक्तता और गति पर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। विनियमों में बार-बार बदलाव अनिश्चितता और अनुपालन में अधिक परिश्रम पैदा कर सकते हैं, जबकि विलंबित अनुकूलन से महत्वपूर्ण गतिविधियों को अपर्याप्त रूप से संबोधित किए जाने का जोखिम रहता है। इसलिए विनियमन को स्थायित्व और प्रतिक्रियाशीलता के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाए रखना चाहिए।

बी. विनियामक परिधि और विखंडन

डिजिटलीकरण से पारंपरिक विनियामक सीमाएं भी धुंधली हो रही हैं। कई वित्तीय गतिविधियां अब गैर-वित्तीय प्लेटफार्मों और व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिनमें विनियमित और गैर-विनियमित दोनों संस्थाएं शामिल हैं, जो आरबीआई के मौजूदा विनियामक दायरे में सही तरह से नहीं आती हैं। ऐसी गतिविधियों की निगरानी अक्सर कई वित्तीय

---

* 9 जनवरी, 2026 को मुंबई में आयोजित 'डिजिटल युग के अनुरूप विनियमन और पर्यवेक्षण' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षक महाविद्यालय के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री शिरीष चंद्र मुर्मू द्वारा दिया गया विशेष संबोधन। चांदनी त्रेहन सलूजा और भारद्वाज बंटू द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए हम उनके आभारी हैं।

और गैर-वित्तीय नियामकों के बीच विखंडित होती है, और किसी भी एक प्राधिकरण के पास पूरी गतिविधि शृंखला और जोखिम संचरण मार्गों का व्यापक, संपूर्ण अवलोकन नहीं होता है। इसलिए, व्यक्तिगत जनादेशों के तहत की गई विनियामक कार्रवाइयां अलग-अलग रूप से तो सही हो सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यापक जोखिमों का सामूहिक रूप से पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकती हैं।

चुनौती यह है कि विशिष्ट क्षेत्र-आधारित विनियामक ढाँचे सुसंगत बने रहें जब डिजिटल वित्तीय गतिविधियाँ जानबूझकर इन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इसे दर्शाते हुए, अंतरराष्ट्रीय अनुभव यूरोपीय संघ में डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलिएंस एक्ट[1] जैसे विनियामक पहुँच के कानूनी रूप से स्थापित विस्तार से लेकर सिंगापुर के साइबर और टेक्नोलॉजी रेजिलिएंस एक्सपर्ट्स (सीटीआरईएक्स) पैनल[2] जैसे उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोगात्मक मंचों तक विभिन्न पहुँच के विस्तार/सीमा का संकेत देता है। आरबीआई ने एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाया है जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर निर्देश जैसे गतिविधि-आधारित तत्वों और विवेकपूर्ण मानदंड जैसे इकाई-आधारित तत्वों को एकीकृत करता है, ताकि इसके निगरानी तंत्रों की मजबूती सुनिश्चित हो सके।[3] यह वित्तीय समूहों के पर्यवेक्षण के लिए ढाँचे[4], गैर-वित्तीय होल्डिंग कंपनियों के लिए निर्देश[5] और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद[6] के तत्वावधान में अंतर-विनियामक मंचों जैसे तत्वों द्वारा पूरक है, जो वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य से जोखिमों के संयुक्त मूल्यांकन में सहायता करते हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विखंडन डिजिटल वित्तीय गतिविधियों की निगरानी को और भी जटिल बना देता है। कानूनी ढाँचों, संस्थागत जनादेशों और घरेलू नीति प्राथमिकताओं में अंतर से अलग-अलग विनियामक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकते हैं जो विनियामक मध्यस्थता और असमान जोखिम प्रबंधन के लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, जिससे प्रभावी सीमा पार सहयोग के महत्व पर जोर दिया जा सकता है[7]।

सी. विनियमन की प्रकृति

अक्सर यह देखा जाता है कि प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडलों के विकास के साथ निर्देशात्मक नियम असंगत हो जाते हैं। इसके विपरीत, सिद्धांत-आधारित विनियमन यदि सुदृढ़ अनुशासन और पर्यवेक्षी सहभागिता द्वारा समर्थित न हो, तो व्याख्या और असमान अनुप्रयोग की गुंजाइश पैदा करते हैं[8]। विनियामकों के सामने, विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संबंध में, चुनौती विनियमन को इस प्रकार समायोजित करने में है कि उसमें कठोरता के बिना स्पष्टता और अस्पष्टता के बिना लचीलापन हो। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है, सिद्धांत-आधारित विनियमन, एक परिपक्व उद्योग के साथ जिसमें सुदृढ़ अनुशासन संरचनाएं हों, विनियामकों की उद्योग के साथ निरंतर सहभागिता हो, बेहतर पर्यवेक्षण और उपयुक्त प्रवर्तन हो, तो यह अधिक सफल परिणाम देता है।

डी. वित्तीय स्थिरता

क्लाउड और विकेंद्रीकृत वित्त के उपयोग जैसे डिजिटल नवाचार, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं जैसी अनियमित संस्थाओं के साथ बढ़ती अंतर्संबंधता, एकल विफलता बिंदु, अंतर्निहित व्यवस्थाओं की अस्पष्टता और कमज़ोर जवाबदेही के कारण नए और संभावित रूप से प्रणालीगत जोखिम पैदा करते हैं। चूंकि प्रणालीगत अस्थिरता किसी एक संस्था के असुरक्षित दिखाई दिए बिना भी उभर सकती है, इसलिए विनियामकों को संस्था-स्तरीय सुदृढ़ता से परे जाकर एकाग्रता, सीमित प्रतिस्थापन क्षमता और व्यापक रूप से निर्भर सेवाओं के बाधित होने पर व्यवधान की संभावना जैसे प्रणालीगत प्रभावों पर ध्यान देना आवश्यक है।

वित्तीय उद्योग में मॉडल, एल्गोरिदम और कोड के बढ़ते उपयोग से परिणामों के निर्माण का तरीका बदल रहा है। हालांकि, इनकी सीमाएं, जैसे कि व्याख्यात्मकता, अंतर्निहित पूर्वाग्रह और मॉडल विचलन, तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती हैं और ये

[1] https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en

[2] https://www.mas.gov.sg/who-we-are/mas-advisory-panels-and-committees/cyber-and-technology-resilience-experts-panel

[3] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1519

[4] https://rbi.org.in/Upload/AnnualReport/Docs/56244.doc

[5] https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=13213&Mode=0

[6] https://dea.gov.in/files/inline-documents/FSCS.pdf

[7] अंतरराष्ट्रीय विनियामक सहयोग – ओईसीडी द्वारा नीति संक्षिप्त, अप्रैल 2020।

[8] https://www.fsb.org/uploads/P160724-2.pdf और https://www.bis.org/fsi/fsipapers19.pdf

केवल तभी उभर सकती हैं जब ये प्रौद्योगिकियां व्यापक स्तर पर उपयोग में लाई जाएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी और नैतिक सशक्तिकरण के लिए फ्रेमवर्क पर समिति (एफआरईई-एआई)[9] की रिपोर्ट जैसे व्यापक ढांचा सहायक हो सकता है, लेकिन इसे उचित विनियमन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिसमें अंतर्निहित सिद्धांत यह हो कि ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न जवाबदेही विनियमित संस्था की हो।

ई. परिचालनगत आघात-सहनीयता

आज की वित्तीय प्रणाली में डेटा एक प्रमुख आस्ति बन गया है। वित्तीय संस्थान बड़ी मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत और लेनदेन संबंधी जानकारी एकत्र और संसाधित करते हैं, जिससे वे साइबर हमलों के लिए तेजी से आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं। प्रतिरूपण, मनगढ़ंत पहचान और कृत्रिम सामग्री जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग से स्थिर पहचान और परिचित पैटर्न पर निर्भर पारंपरिक जाँचों की विश्वसनीयता कम हो रही है। चुनौती यह है कि नवाचार को बढ़ावा देने वाले नियमों को लागू किया जाए, साथ ही परिचालन आघात-सहनीयता के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाए, आरबीआई द्वारा जारी परिचालन जोखिम और आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट[10] इसका एक अच्छा उदाहरण है।

विनियामकों के लिए एक और उभरती चुनौती सूचना की सत्यता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म सटीक या विकृत, पूर्ण या अपूर्ण, किसी भी प्रकार की जानकारी को तेजी से प्रसारित करने में सक्षम बनाते हैं। विकृत जानकारी उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की भावना को प्रभावित कर सकती है, संभवत: जिससे तनाव और संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे वातावरण में, हितधारकों का विश्वास बनाए रखने के लिए स्पष्ट, लक्षित और समय पर विनियामक संचार का महत्व और भी बढ़ जाता है।

एफ. क्षमता

डिजिटलीकरण ने विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुद्दों के दायरे और जटिलता को काफी हद तक बढ़ा दिया है। विनियामक निर्णय के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित व्यावसायिक मॉडलों, डेटा-संचालित निर्णय प्रणालियों, डिजिटल परिचालन प्रक्रियाओं और तेजी से विकसित हो रहे जोखिम संचरण चैनलों को समझना आवश्यक हो गया है, जिससे विनियामक क्षमता पर निरंतर दबाव बना रहता है। विनियामकों को सक्रिय रूप से प्रतिभा को आकर्षित करना, बनाए रखना और प्रभावी ढंग से तैनात करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियामक दलों में विशेषज्ञता अच्छी तरह से समाहित हो।

II. डिजिटल युग में विनियमन के अवसर

डिजिटल युग में विनियमन के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले कारक ही विनियामकों के लिए अवसर भी पैदा करते हैं, जिससे वे अपनी पहुंच का विस्तार करके नहीं, बल्कि जोखिमों के अवलोकन, मूल्यांकन और समाधान के तरीकों में सुधार करके अपने दृष्टिकोण का निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन कर सकते हैं।

ए. सक्रिय विनियमन

डिजिटल वित्तीय गतिविधि लेन-देन, संचालन और चैनलों में बारीक, उच्च-आवृत्ति वाली जानकारी उत्पन्न करती है, जिससे उभरते मुद्दों, जैसे कि प्रारंभिक तनाव, असामान्य व्यवहार या नियंत्रणों में गिरावट, का प्रारंभिक और गहन विनियामक मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, जिससे विनियामक हस्तक्षेपों को समयबद्ध और समायोजित करने में मदद मिलती है। आरबीआई का मशीन लर्निंग टूल-MuleHunter.ai डिजिटल पारितंत्र को प्रभावित करने वाले फर्जी बैंक खातों की समस्या से निपटने के लिए किए गए उसके डिजिटल हस्तक्षेप का एक उदाहरण है।[11]

बी. प्रणाली-व्यापी दृश्यता

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डिजिटल युग के कई जोखिम साझा निर्भरताओं, सामान्य प्रौद्योगिकी विकल्पों और परस्पर जुड़े बुनियादी ढांचे के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। डेटा उपलब्धता और विश्लेषणात्मक उपकरणों में प्रगति का उपयोग विनियामकों द्वारा निर्भरताओं और अंतर्संबंधों की इन जटिल शृंखलाओं को देखने, महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान करने और एकाग्रता एवं अन्य परस्पर संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। यह न केवल जोखिम का अधिक सुसंगत दृष्टिकोण रखने में मदद करता है बल्कि भले ही व्यक्तिगत संस्थाएं लचीली प्रतीत हों; प्रणाली-व्यापी व्यवधानों

[9] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/FREEAIR130820250A24FF2D4578453F824C72ED9F5D5851.PDF

[10] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/OPERATIONAL28112025BA9ABE54217D47C89EAEAEA9A649ED11.PDF

[11] https://rbihub.in/projects/mulehunter

का पूर्वानुमान लगाने में और इस तरह की बाधाओं के द्वितीयक प्रभावों जैसे कि साइबर घटना के कारण उत्पन्न होनेवाले चलनिधि संकट का आकलन करने में भी मदद करता है।

सी. विनियामकीय समायोजन

डिजिटलीकरण से नियामकों को अधिक अनुकूलनशील बनने का अवसर मिलता है। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सुविधायुक्त गतिविधियों, जोखिमों और जोखिम कारकों की एक विस्तृत समझ प्राप्त होती है, जिससे आनुपातिकता को अधिक सटीकता के साथ लागू करने का अवसर मिलता है। साथ ही, डिजिटल उपकरण विनियामकों को घटनाओं, आकस्मिक दुर्घटनाओं, बाजार के विकास और पर्यवेक्षी अनुभव से प्राप्त फीडबैक को विनियमों में अधिक व्यवस्थित रूप से शामिल करने में मदद करते हैं, जिससे एक परिपक्व और स्थिर विनियामक स्थिति का समर्थन होता है।

डी. विनियामकीय बोझ कम करना

अधिक समृद्ध डेटा और उन्नत मॉडलिंग उपकरणों की उपलब्धता विनियामकों को अधिक संरचित और दूरदर्शी तरीके से विनियामकीय प्रभाव आकलन और लागत-लाभ विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है, जिससे तर्कसंगत विनियामकीय विकल्पों का समर्थन होता है। रिज़र्व बैंक (आरबी) ने विनियमों के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क के माध्यम से इस तरह की संरचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रभाव आकलन, विनियमों की आवधिक समीक्षा और 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' के माध्यम से हितधारकों की व्यापक भागीदारी शामिल है।

अनुपालन बोझ को कम करना विनियामकों के लिए एक और उपयोग का मामला है, जिस पर आरबीआई अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी कार्यों में डिजिटल प्रक्रियाओं को शामिल करके सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सभी विनियामक सेवाएं अब एक संपूर्ण केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल प्रवाह[12] के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। दक्ष[13], जो एक संपूर्ण पर्यवेक्षी वर्कफ़्लो एप्लिकेशन भी है, अनुपालन, पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं और संचार की केंद्रित निगरानी के साथ-साथ साइबर घटना रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है।

ई. विनियामक क्षमताएं

विनियामकों (सुपटेक) और विनियमित संस्थाओं (रेगटेक), दोनों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक कुशल पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं और अनुपालनों का समर्थन करता है, जिसमें स्वचालित रिपोर्टिंग, लक्षित विश्लेषण और स्थिर दस्तावेज़ीकरण से दूर जाना शामिल है, जिससे प्रभावी जोखिम प्रबंधन और परिणाम प्राप्त होते हैं। आरबीआई का उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषण समूह माइक्रोडाटा विश्लेषण, अनुशासन मूल्यांकन, सोशल मीडिया निगरानी, उधारकर्ताओं के धोखाधड़ी भेद्यता मॉडल का आकलन आदि के लिए डिजिटल तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहा है।[14]

व्यवहार के परिप्रेक्ष्य से, डिजिटल उपकरण उपभोक्ता शिकायतों, उनके समाधान, सेवा व्यवधान, गलत बिक्री आदि पर संरचित और असंरचित दोनों प्रकार की जानकारी का आकलन करने की क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इससे पर्यवेक्षी जुड़ाव में तेजी लाने और उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन परिणामों का समर्थन करने वाले अधिक साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप में मदद मिलती है। आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली ऐसे उपकरणों का तेजी से उपयोग कर रही है।[15]

एफ. विनियामक सहयोग

जैसा कि पहले बताया गया है, डिजिटल अवसंरचनाएं और सेवा प्रदाता संस्थागत और क्षेत्राधिकार सीमाओं से परे कार्य करते हैं। डिजिटल उपकरण सीमा पार और अंतरक्षेत्रीय संदर्भों में, विशेष रूप से सामान्य महत्वपूर्ण तृतीय पक्षों के लिए, सुसंगत विनियामक परिणामों हेतु त्वरित सूचना साझाकरण और संयुक्त विश्लेषण में सहायक हो सकते हैं। आरबीआई इस प्रकार के सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विनियामकों और मानक निर्धारण निकायों के साथ निरंतर संपर्क में रहा है।

III. डिजिटल युग में विनियमन के सिद्धांत

मैं डिजिटल युग में एक विनियामक को कैसे सोचना, निर्णय लेना और कार्य करना चाहिए, इस संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

[12] भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25 का पैराग्राफ I.20।

[13] https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=54503

[14] आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का पैरा VI.60।

[15] आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का पैरा VI.93।

ए. जनहित की सर्वोपरिता: विनियमन को वित्तीय स्थिरता और ग्राहक संरक्षण के अपने मूल उद्देश्य में निहित रहना चाहिए।

बी. जोखिम-आधारित दृष्टिकोण: विनियामक दृष्टिकोण संस्थागत स्वरूप, कानूनी संरचना या वितरण माध्यमों से परे जोखिमों पर केंद्रित होना चाहिए।

सी. जवाबदेही लागू करना: तकनीकी मध्यस्थता या प्रक्रियाओं से विनियमित संस्थाओं की जवाबदेही कम नहीं होनी चाहिए, भले ही जिम्मेदारियां साझा की गई हों।

डी. आनुपातिक समायोजन: विनियामक तीव्रता को गतिविधियों की भौतिकता, जटिलता और प्रणालीगत प्रासंगिकता के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए।

ई. डेटा, अनुभव और दूरदर्शिता: विनियामक निर्णय लेने में डेटा, पर्यवेक्षी अनुभव और भविष्योन्मुखी निर्णय का उपयोग किया जाना चाहिए।

एफ. अनुकूलनशील परिशोधन: विनियमन में निरंतर विकास होना चाहिए।

जी. परिणाम उन्मुखीकरण: विनियमन में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों, संरचनाओं या मॉडलों के निर्धारण से बचते समय, विनियामक अपेक्षाओं को वांछित परिणामों और जोखिम नियंत्रणों पर केंद्रित होना चाहिए, जिससे कार्यान्वयन में लचीलापन हो।

एच. डिजाइन द्वारा लचीलापन: विनियामक ढाँचे संस्थाओं और प्रणालियों के झटकों को सहन करने, महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और व्यवस्थित तरीके से उबरने की क्षमता पर केंद्रित होने चाहिए।

आई. प्रभावी संचार: विनियामक संचार स्पष्ट होना चाहिए जो परिणामों के बारे में पूर्वाग्रह रखे बिना या भविष्य की विनियामक कार्रवाई को सीमित किए बिना विश्वास और स्थिरता को बढ़ावा दे।

निष्कर्ष

आइए, मैं विनियमन से परे एक विचार के साथ अपनी बात समाप्त करूं। डिजिटल युग क्रिया और परिणाम के बीच की दूरी लगातार कम कर रहा है। क्रियाएं अब पहले से कहीं अधिक तेज़ी से फैलती हैं, व्यापक रूप से परस्पर क्रिया करती हैं और अधिक तेज़ी से जटिल होती जाती हैं। ऐसे परिवेश में, मुख्य चुनौती अनिश्चितता स्वयं नहीं है, बल्कि उस दौरान लिए गए निर्णय की गुणवत्ता है जिसके परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं।

इस परिवेश में, विनियमन का महत्व इसकी उस क्षमता में निहित है जो अन्य सभी चीजों के गतिशील होने के दौरान एक स्थिर संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। जब यह साक्ष्य, अनुभव पर आधारित और भविष्योन्मुखी होता है, तो विनियमन परिवर्तन की दिशा को केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे आकार दे सकता है। इसी तरह नवाचार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और वित्तीय प्रणाली में विश्वास कायम रहता है।

धन्यवाद और रचनात्मक विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान की कामना करता हूं।